न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस.

रीडर/2025/ 8102

दिनांक – 03.09.25

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 भीखीदेवी पत्नि मंगलाराम 2 राणाराम 3 सवाई पिसरान मंगलाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी छीतर का पार, तहसील बाटाडू जिला बाडमेर।		1 आसुराम पुत्र प्रहलादराम वगैराह जातियान कुम्हार निवासीसान छीतर का पार तहसील बाटाडू जिला बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :–183/2025 दिनांक–01/09/2025

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा छीतर का पार पटवार हल्का छीतर का पार तहसील बाटाडू जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 497/207 रकबा 1.5776 हैक्टेयर, खसरा संख्या 512/227 रकबा 0.9142 हैक्टेयर, खसरा संख्या 702/227 रकबा 0.9708 हैक्टेयर खसरा संख्या 649/244 रकबा 1.4319 हैक्टेयर व खसरा संख्या 650/244 रकबा 1.8445 हैक्टेयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाटाडू को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

क्रमांक :– रीडर/2025/ 8103-06 दिनांक– 03.09.25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. तहसीलदार बाटाडू पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी खींपर तहसील बाटाडू को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण अलसाराम पुत्र भारमल वगैराह जाति जाट निवासी रामासरिया (खींपर) तहसील बाटाडू जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थीगण निम्बाराम पुत्र सालूराम वगैराह जाति जाट निवासी रामासरिया तहसील बाटाडू जिला बाडमेर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yasharth Shekhar
Date: 2025.10.25 12:49:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर